न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 07/14 तारीख रजू 13.5.2014

RCMS NO. 2017/00182

बउनवानीः– सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

1. जगदीश पुत्र माधो गुर्जर निवासी धमूण कलां, तह0 सवाईमाधोपुर (मृतक)

1/1. राजाराम, मुकेश पुत्र स्व0 श्री जगदीश गुर्जर नि. धमूण कलां

1/2. दिनेश पुत्र जगदीश नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सम्पत बेवा जगदीश गुर्जर निवासी धमूण कलां

1/3. राजन्ती पुत्री स्व0 श्री जगदीश गुर्जर नि. धमूण कलां

1/4. फोरन्ती पुत्री स्व0 श्री जगदीश गुर्जर नि. धमूण कलां

1/5. उगन्ती पुत्री स्व0 श्री जगदीश गुर्जर नि. धमूण कलां

1/6. धोला पुत्री स्व0 श्री जगदीश गुर्जर नि. धमूण कलां

1/7. संतरा पुत्री स्व0 श्री जगदीश गुर्जर नि. धमूण कलां

2. कजोड पुत्र माधो गुर्जर निवासी ग्राम धमूण कलां, तह0 सवाईमाधोपुर
3. चिरन्जी पुत्र माधो गुर्जर निवासी ग्राम धमूण कलां, तह0 सवाईमाधोपुर
4. श्रीकिशन पुत्र बन्शी गुर्जर निवासी ग्राम धमूण कलां, तह0 सवाईमाधोपुर
5. मोहन पुत्र बन्शी गुर्जर निवासी ग्राम धमूण कलां, तह0 सवाईमाधोपुर
6. पन्नी बेवा बन्शी गुर्जर निवासी ग्राम धमूण कलां, तह0 सवाईमाधोपुर
7. कालू पुत्र मोती नाबालिग जरिये संरक्षक माता गुलाब देवी बेवा मोती गुर्जर निवासी धमूण कलां तहसील सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2), राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–1. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

2. श्री गिरार्ज सिंह गुर्जर — वकील अप्रार्थीगण

–ः निर्णय ः– दिनांक 16.11.2021

यह रेफ.प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धमूण कलां तहसील सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 480 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै0मु0 नला के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 में अभिलिखित थी तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर [illegible] खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) [illegible] के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य [illegible] किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त [illegible] मे से रकबा 12 बिस्वा (बाद सेटलमेंट हाल ख0न0 957 रकबा 0.02 है0, ख0न0 [illegible] रकबा 0.07 है0, ख0न0 967 रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 0.15 है0) भूमि का आवंटन अनियमित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:34:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रूप से माधो, बंशी,मोती पिता बलदेवा गुर्जर के पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है एवं नियम विरूद्व नियमन की श्रेणी मे आता है जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 8.12.1972 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 424 दिनांक 3.2.1983 से खातेदारी अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वजो के पक्ष मे दर्ज फैसल किया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी/रैफ. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये अवैद्य आवटन के आधार पर खातेदारी प्रोदभूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत उक्त रैफ. दिनांक 7.11.2006 को राजस्व मण्डल को रेफर किया गया था किन्तु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.12.2013 से उक्त रैफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान जमाबन्दी के अंकन मूलतः जिस आवंटन आदेश से सृजित हुए है उक्त आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर उभय पक्षों को सुनकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलवी की गयी तथा मूल आवंटन मिसल भी अवलोकन हेतु तलब की गयी जो मिसल में संलग्न है। तत्पश्चात बहस पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थीगण सुनीय गयी।

दौराने बहस पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर प्रस्तुत रैफरेन्स के संबंध में सम्वत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम धमूण कलां तहसील सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 480 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा जो कि मुताबिक राजस्व अभिलेख गै.मु. नला के रूप मे दर्ज थी जिसमे से नियमों के विपरीत 12 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में किया जाकर विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 8.12.1972 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 424 दिनांक 3.2.1983 से खातेदारी अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वजो के पक्ष मे दर्ज फैसल किया गया है जो नियम विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं वर्जित वर्ग की श्रेणी मे आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकारी उद्भूत नही होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत नियमन के योग्य नही है इस प्रकार विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये उक्त नामा0 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च [illegible] के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध [illegible] 15.8.47 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। [illegible] पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये नामा0 को [illegible] की राय के साथ रैफरेन्स मा0 राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:34:57 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वैसे तो अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिना किसी ठोस आधार एवं तथ्यो की जॉच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है तथा आवंटित भूमि अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सम्वत् 2031 से 2034 मे उक्त ख0न0 की किस्म गै0मु0 नला न होकर बारानी–2 दर्ज है। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नियम विरूद्व तरीके से यह रैफरेन्स पेश किया गया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम धमूण कलां तहसील सवाईमाधोपुर के ख0न0 480 रकबा 12 बिस्वा की सीमा तक आवंटन दिनांक 16.7.1965 को विधिविरूद्व हुआ है तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में आवंटी के नाम ख0न0 480 रकबा 12 बिस्वा की सीमा तक नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 8.12.1972 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 424 दिनांक 3.2.1983 से खातेदारी अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वजो के पक्ष मे दर्ज फैसल किया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त दोनो नामा0 एवं उक्त आवंटन आदेश भी ख0न0 480 रकबा 12 बिस्वा की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त दोनो नामा0 एवं आवंटन आदेश को ख0न0 480 रकबा 12 बिस्वा (हाल ख0न0 957 रकबा 0.02 है0, ख0न0 965 रकबा 0.07 है0, ख0न0 967 रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 0.15 है0) की सीमा तक आंशिक रूप को निरस्त करने की राय मय जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 एवं आवंटन आदेश दिनांक 16.7.1965 की मूल पत्रावली के साथ माननीय राजस्व मण्डल–राजस्थान–अजमेंर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 30.12.2021 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:57 IST
Reason: SelfAttested